निर्णय न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा

पीठासीन अधिकारी – महेश गगोरिया (आर0ए0एस0)

प्रकरण सं. –53 / 2022

रामस्वरूप पुत्र धन्नालाल जाति जाट आयु बालिग पेशा काश्त निवासी धारडी प0ह0 धावदकलां तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़। ....प्रार्थी

बनाम

1. दाखा बाई पत्नि स्व0 शंकरलाल जाति धाकड़ आयु बालिग निवासी जालखेडा प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
2. बजरंग पुत्र स्व0 शंकरलाल जाति धाकड़ आयु बालिग निवासी जालखेडा प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
3. रामेश्वर पुत्र स्व0 शंकरलाल जाति धाकड़ आयु बालिग निवासी जालखेडा प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
4. लाडबाई पुत्री स्व0 शंकरलाल जाति धाकड़ आयु बालिग निवासी जालखेडा प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
5. बालचन्द पुत्र लक्ष्मण धाकड जाति धाकड आयु बालिग निवासी जालखेडा प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
6. मथुरालाल पुत्र लक्ष्मण धाकड जाति धाकड आयु बालिग निवासी जालखेडा प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
7. बरदीलाल पुत्र लक्ष्मण धाकड जाति धाकड आयु बालिग निवासी जालखेडा प0ह0 जालखेडा तहसील रावतभाटा जिला चितौडगढ़।
8. जरिये भूमिधारी तहसीलदार रावतभाटा। ....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

अधिवक्ता प्रार्थी:– श्री पराग त्रिपाठी।
अप्रार्थी:– 01 से 7 एकतरफा कार्यवाही, 08 पेरोकार सरकार।

निर्णय दिनांक – 23.07.2024

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं आराजीयात सम्वत 2076–79 अनुसार ग्राम धारडी प0ह0 धावदकलां की खाता संख्या 133 खसरा संख्या 345मी. रकबा 1.51है0 किस्म माल प्रथम दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी कदीमी समय से खेत पर आने जाने वाले रास्ते पर आ जा रहा था परन्तु साल भर से अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 04 रास्ते पर पत्थरों की कोट बनाकर रास्ता बन्द कर दिया है जिससे मुझे आने जाने में बडी दिक्क्त हो रही है, न में खेतों की हंकाई जुताई कर पा रहा हूं ना ही माल की समय पर कटाई कर पा रहा हूं। जब भी मैं अपनी आराजी पर जाता आता हुं तो रास्ते में मुझे रोक कर गाली गलौच कर मारपीट करने की धमकियां देते हुए रास्ते से नहीं आने जाने दे रहे है प्रार्थी के खेत पर आने जाने के सभी रास्ते बन्द कर दिये है जिससे प्रार्थी की आराजी ही पडत रह जायेगी। मुझ प्रार्थी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में श्रीमान तहसीलदार साहब के समक्ष दिनांक 26.10.2021 को प्रार्थना पत्र रास्ता बहाली किये जाने का प्रस्तुत किया था परन्तु आज दिनांक तक रास्ता बहाली किये जाने से मुझे श्रीमान के समक्ष रास्ता बहाली के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। ग्राम बम्बोरीखुर्द से जालखेडा आने जाने का राजस्व रेकार्ड में रास्ता कायम है [illegible] से आ जा रहा है, प्रार्थी नक्शा ट्रेस में वर्णित ए,बी,सी,डी अनुसार रास्ता [illegible] चाहता है जिसकी नियमानुसार शुल्क जमा कराने को तैयार [illegible] के पास नहीं है, प्रार्थी खसरा संख्या 342, 344, 345/458 [illegible] हुए आराजी संख्या 345मी. पर जाने के लिए रास्ता कायम करवाना चाहता है। अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम धारडी एवं जालखेडा की सीमा पर स्थि[illegible] रास्ता जो जालखेडा से बम्बोरीखुर्द की ओर जाता है, उसके पास स्थित नक्शा ट्रेस अनुसार ए,बी,सी,डी नक्शें में अंकित अनुसार खसरा संख्या 345 में जाने के लिए खसरा संख्या 342, 344, 245/458 से रास्ता कायम किया जाने का आदेश प्रदान फरमावें तथा इसी अनुसार इस रास्ते की तरमीम के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.08 14:06:59 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को तलब किया गया, विपक्षीगण संख्या 01 से 07 न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के विरूद्ध दिनांक 19.05.2022 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित हुए। अप्रार्थी संख्या 08 पेरोकार सरकार दिनांक 03.07.2024 को जवाब व मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट अनुसार ग्राम धारडी प0ह0 धावदकलां के आराजी संख्या 345मी. रकबा 1.51है0 किस्म माल के लिए रास्ते की आवश्यकता है। उपस्थित मौतबिरान एवं प्रार्थी अनुसार ग्राम धारडी के आराजी संख्या 345 से क्रमशः आराजी संख्या 343, 344, 342 से होते हुए आराजी संख्या 20 में रिकार्डड रास्ता जो कि ग्राम जालखेडा में अवस्थित है, तक पहुंचा जा सकता है। सलंग्न नक्शे में अंकित प्रस्तावित रास्ते में खसरा संख्या 343 लम्बाई 40 मीटर X 4 मीटर चौडाई (40 X4=160 वर्गमीटर) व आराजी संख्या 344 लम्बाई 120 मीटर X 4 मीटर चौडाई (120 X4=480 वर्गमीटर) व आराजी संख्या 342 लम्बाई 88 मीटर X 4 मीटर चौडाई (88 X4=352 वर्गमीटर) भूमि कुल भूमि 992 वर्गमीटर भूमि रास्ते हेतु उपयोग में आयेगी। प्रस्तावित भूमि की प्रचलन डीएलसी दर 400791 रू प्रति हैक्टयर अथवा 40.07 रू प्रति वर्गमीटर है। प्रार्थी के रास्ते में आने वाली कुल भूमि 992 वर्गमीटर है। प्रचलन डीएलसी दर के हिसाब से 992 X 40.07=39750 रू बनती है। जिसका दुगुना शुल्क प्रार्थी को जमा कराना होगा।

हमने प्रार्थी पक्ष को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया है कि उनकी आराजीयात में आने जाने का कोई रास्ता नहीं होने से उसे कृषि कार्य हेतु आने जाने में असुविधा होती है तथा वे वर्तमान में विपक्षी की आराजी संख्या 342, 343, 344 मे से रास्ता चाहा गया। इसके लिए वह नियमानुसार राशि विपक्षी खातेदार को देने को तैयार है।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के पास उसके खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु कम दूरी का अन्य कोई मार्ग/विकल्प नहीं होने से उसके द्वारा सुखाधिकार के तहत भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता चाहा गया है। जिससे उक्त तथ्यों को देखते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा–251 (ए) बाबत ग्राम धारडी प0ह0 धावदकलां की खाता संख्या 133 खसरा संख्या 345मी. रकबा 1.51है0 किस्म माल प्रथम में आने जाने हेतु विपक्षी संख्या 01 से 07 की आराजी संख्या 342, 343, 344 में से जो न्यूनतम दूरी का मार्ग होने से तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट अनुसार भूमि रास्ता हेतु दिलाये जाने का स्वीकार किया जाकर रकबा 992 वर्गमीटर भूमि डीएलसी रेट अनुसार डीएलसी दर 400791/रू. अनुसार कीमत 39750/रू. की दुगुनी दर से राशि 79500/रू. (अक्षरे रूपये उन्यासी हजार पांच सौ रू. मात्र) कीमतन का भुगतान संबंधित खातेदार को किये जाने पर उक्त भूमि रास्ते के उपयोग हेतू बिलानाम दर्ज करने की स्वीकृति दी जाकर रास्ता कायम किया जाने का आदेश दिया जाता है एवं प्रार्थी को आदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का भुगतान विपक्षी संख्या 01 को किये जाने बाबत उक्त राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाकर भुगतान तहसीलदार रावतभाटा के मार्फत किये जाने हेतू प्रस्तुत करें। ड्राफ्ट प्रस्तुत ... उक्त आदेशानुसार भुगतान हेतू संबंधित तहसीलदार को ड्राफ्ट भिजवाया जावे ... रा... अभिलेख में अमल हेतू तहसीलदार रावतभाटा की रिपोर्ट के साथ ... प्रति के साथ संलग्न कर पालनार्थ तहसीलदार रावतभाटा को भेजी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahesh Gagoriya
Date: 2024.08.08 14:06:59 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 23.07.2024 को खुले न्यायालय में सु... गया। निर्णय की प्रति तहसीलदार रावतभाटा को पालनार्थ भेजी जावे।

(महेश गगोरिया)R.A.S.
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा